उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

सूचना-पत्र

क्रमांक C/2754 लेखा/2024 जबलपुर, 06 मार्च, 2024

आदेशानुसार, रजिस्ट्री के समस्त द्वितीय, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नई टैक्स रिजीम वित्त वर्ष 2024-2025 के लिये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। साथ ही, जो भी शासकीय सेवक पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, वे पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चयन कर सकते हैं। उनका कर निर्धारण पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार किया जावेगा।

अतएव, निर्देशानुसार, समस्त द्वितीय, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक लेखा शाखा में सहायक वेतन देयक के पास उपलब्ध रजिस्टर में अपने नाम के सामने दिनांक 15.03.2024 तक नई अथवा पुरानी टैक्स रिजीम का चयन किया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि तद्नुसार मार्च, 24 से आयकर कटौत्रा प्रारंभ किया जा सके। साथ ही पुरानी रिजीम का चयन करने वाले शासकीय सेवक अपनी अनुमानित बचतों की जानकारी लेखा शाखा में आकर नोट कर सकते हैं तथा इन बचतों के प्रमाण दिनांक 31.01.2025 तक अनिवार्यतः जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विकल्प प्रस्तुत न करने वाले शासकीय सेवकों हेतु नई टैक्स रिजीम के अनुसार करनिर्धारण कर वसूली प्रारंभ की जावेगी।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार

6.3.24

(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)